

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 106/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. राजेन्द्र मंगल पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी प्लाट नंबर 14 क्रान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर।		01.संजय अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 2/570 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड बासनी जोधपुर। 02.वाद मे अकित प्रतिवादी संख्या 02 से 4 तक 03.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादीनी की ओर से अधिवक्ता हरिसिंह कच्छवाह उपस्थित
02.प्रतिवादीगण की ओर से सूचना के बावजूद अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक:- 08/01/2025

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 31.12.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम नन्दवान पटवार हल्का नन्दवान के खसरा नम्बर 547 रकबा 1.6997 हैक्टर व खसरा नम्बर 548 रकबा 2.3715 हैक्टर भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 31.12.2024 मय मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01 राजेन्द्र मंगल पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी प्लाट नंबर 14 क्रान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर।	547	1.6997	3.37	बारानी प्रथम
	सा देह खातेदार, संजय अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 2/570 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड बासनी जोधपुर।	548	1.3536	2.69	बारानी प्रथम
	सा देह खातेदार संजय मंगल पुत्र ओमप्रकाश मंगल जाति अग्रवाल सा प्लाट न 13 क्रान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर खातेदार	2	3.0533	6.06	
B	01.सन्तु देवी पुत्री भंवराराम जाति घांसी सा देह खातेदार	548	0.2036	0.40	बारानी प्रथम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी


C	01.शंकरलाल पुत्र मानाराम जाति घासी सा देह खातेदार	548	0.8143	1.61	बारानी प्रथम
---	--	-----	--------	------	-----------------

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फुर्द दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फुर्द दिनांक 23.12.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।




~~सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,~~
 लूणी RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 106 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. राजेन्द्र मंगल पुत्र श्री अशोक कुमार जाति अग्रवाल निवासी प्लाट नंबर 14 कान्ति नगर धनवन्तरी हॉस्पिटल के पीछे पाल रोड जोधपुर।		01. संजय अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी 2/570 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड बासनी जोधपुर। 02. वाद में अकित प्रतिवादी संख्या 02 से 4 तक 03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 106/2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 23.12.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 08/1/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,**
लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक मीजाचन	-		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक मीजान	-	-



न्यायालय सहायक **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,**
लूणी